

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य
की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और
राष्ट्रनिर्माण की ओर

Call for Action: Education for All –
Equal Opportunity, Equal Future



शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

प्रस्तावना

शिक्षा केवल अक्षर जोड़ना या परीक्षा पास करने का साधन नहीं है। शिक्षा वह ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर जीवन का मार्ग प्रकाशित करती है। यह केवल ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि व्यक्ति को संस्कारित करने की साधना है। यह सोचने-समझने की शक्ति देती है, विवेक जगाती है और नागरिक को समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाती है।

आज भारत गरीबी, बेरोज़गारी, अपराध और सामाजिक असमानताओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन समस्याओं की जड़ में असमान और अधूरी शिक्षा ही सबसे बड़ा कारण है। यदि शिक्षा अधूरी है, तो समाज अधूरा है; यदि शिक्षा असमान है, तो राष्ट्र विखंडित है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम केवल भारत की कल्पना न करें, बल्कि उसे साकार करें। हमें ऐसा भारत बनाना है जहाँ हर बच्चा—चाहे वह गाँव का हो या शहर का, अमीर हो या गरीब—जन्म से लेकर २४ वर्ष की आयु तक निःशुल्क, समान और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे।

भारत की शिक्षा का इतिहास गौरवशाली रहा है। गुरुकुल परंपरा से लेकर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों तक, शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं थी, बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति और मानवता की सेवा का माध्यम थी। यही कारण था कि भारत को विश्वगुरु की उपाधि प्राप्त हुई। लेकिन विदेशी आक्रमण और औपनिवेशिक शासन ने शिक्षा का स्वरूप विकृत कर दिया। अंग्रेजों ने शिक्षा को केवल नौकरियों का साधन बना दिया, जिससे समाज में अमीर और गरीब, शहर और गाँव, लड़के और लड़कियों के बीच गहरी असमानताएँ उत्पन्न हुईं।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

आज भी यह असमानता स्पष्ट है। एक ओर चमकते शहरों के महंगे विद्यालय हैं, तो दूसरी ओर गाँवों के जर्जर सरकारी स्कूल। एक ओर अमीर बच्चे महंगे कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, तो गरीब बच्चे आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्कूल छोड़ने पर विवश हैं। यह "दोहरी शिक्षा व्यवस्था" अपराध, बेरोज़गारी और गरीबी को जन्म देती है। यही असमानता समाज में सामाजिक न्याय को अधूरा करती है।

भारतीय संविधान ने ६ से १४ वर्ष की आयु तक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया, लेकिन १४ वर्ष के बाद अधिकांश बच्चों के भविष्य की कोई गारंटी नहीं रहती। १४ वर्ष के बाद शिक्षा केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जिनके पास आर्थिक संसाधन हैं। यही कारण है कि शिक्षा की असमानता आज भी गहरी है। सरकारी विद्यालय बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि निजी विद्यालय शिक्षा को उद्योग बना चुके हैं। फीस, डोनेशन और कैपिटेशन के कारण केवल संपन्न बच्चों को ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है।

इस असमानता को दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। अगर शिक्षा पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी हो और हर स्कूल में समान पाठ्यक्रम, समान संसाधन और समान अवसर सुनिश्चित हों, तो अमीर और गरीब के बीच की खाई स्वतः मिट जाएगी। फिनलैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश यह उदाहरण पहले ही दिखा चुके हैं। वहाँ शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, और हर बच्चा समान शिक्षा प्राप्त करता है। भारत, जिसकी शिक्षा परंपरा नालंदा और तक्षशिला जैसी महान संस्थाओं से जुड़ी है, यह कदम आसानी से उठा सकता है।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

राष्ट्रीयकरण केवल व्यवस्था सुधार नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रांति है। जब सभी बच्चे एक ही बेंच पर बैठेंगे, समान पाठ्यक्रम पढ़ेंगे और समान अवसर पाएँगे, तभी जाति, धर्म और वर्ग आधारित भेदभाव घटेगा। यही वह नींव है जिस पर वास्तविक सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और समृद्धि खड़ी हो सकती है।

आरक्षण व्यवस्था ने स्वतंत्रता के बाद समाज में अवसरों को बढ़ाने में मदद की, लेकिन अब इसके दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। लाभ "मलाईदार वर्ग" तक सीमित हो गया, जबकि असली गरीब और उपेक्षित वर्ग अभी भी पिछड़ेपन में हैं। असली समाधान शिक्षा का राष्ट्रीयकरण है—जहाँ हर नागरिक जन्म से लेकर २४ वर्ष तक समान और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे।

शिक्षा केवल पढ़ाई और डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य हर बच्चे की भीतरी प्रतिभा को पहचानना और उसे निखारना है। कोई बच्चा विज्ञान में उत्कृष्ट हो सकता है, कोई कला, संगीत या खेल में, तो कोई योग और ध्यान से आत्मिक संतुलन पाता है। समावेशी शिक्षा वही है जिसमें कोई बच्चा अपनी परिस्थितियों के कारण पीछे न छूटे। NCC, खेल, सामूहिक गतिविधियाँ, योग और डिजिटल शिक्षा मंच इसे संभव बनाते हैं।

जब हर नागरिक २४ वर्ष तक निःशुल्क और समान शिक्षा पाएगा, तब भारत केवल डिग्रीधारी युवाओं का देश नहीं रहेगा, बल्कि योग्य, संतुलित और जिम्मेदार नागरिकों का राष्ट्र बनेगा। साथ ही, जीवनभर सीखने की व्यवस्था (Adult Education, Community Learning Centers, Digital Learning) नागरिकों को निरंतर विकसित करती रहेगी, जिससे देश की "knowledge economy" मजबूत होगी।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

कल्पना कीजिए उस भारत की—

- जहाँ हर नागरिक २४ वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा पाए।
- जहाँ महिलाएँ शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनें।
- जहाँ गरीबी, अपराध और असमानता स्वतः मिट जाए।
- जहाँ भारत दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान महाशक्ति बने।

यदि ऐसा भारत बने, तो प्रत्येक बच्चा, युवा और नागरिक गर्व से कह सकेगा—“मैं शिक्षित हूँ, संस्कारित हूँ और आत्मनिर्भर हूँ।” यही हमारा स्वप्न है—“हर भारतीय को शिक्षा का समान अवसर – जन्म से लेकर जीवनभर तक।”

 यही स्वप्न है—“हर भारतीय को शिक्षा का समान अवसर – जन्म से लेकर जीवनभर तक।”

१. शिक्षा का असली अर्थ : अक्षरज्ञान से जीवनज्ञान तक

मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मनुष्य सीखने और सीखकर बदलने की क्षमता रखता है। यही शिक्षा है। लेकिन दुर्भाग्य से हम शिक्षा को केवल अक्षरज्ञान या डिग्री प्राप्ति तक सीमित समझ बैठे हैं। क्या केवल पढ़-लिखकर परीक्षा पास करना शिक्षा है? क्या केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ना शिक्षा है? क्या केवल किताबों में अंक भरना शिक्षा है?

नहीं। शिक्षा का असली उद्देश्य है मनुष्य को जागरूक बनाना, जीवन

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

जीने की कला सिखाना, सद्गुणों से संस्कारित करना और उसे आत्मनिर्भर व समाजोपयोगी बनाना। एक सच्चा शिक्षित व्यक्ति वही है जो न केवल अपने लिए कमाए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रकाश बन जाए।

शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को चीरता है। यह गरीबी मिटाती है, अपराध कम करती है और समाज को समानता और भाईचारे की ओर ले जाती है। बिना शिक्षा का जीवन ऐसा है जैसे दीपक बिना लौ, नदी बिना जल, या शरीर बिना आत्मा। अनपढ़ समाज में अंधविश्वास, शोषण, अन्याय और असमानता का बोलबाला होता है, जबकि शिक्षित समाज में न्याय, समानता और प्रगति का मार्ग खुलता है। इसलिए शिक्षा केवल व्यक्तिगत साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण का सबसे बड़ा शस्त्र है।

आज भारत स्वतंत्र है। हम चाँद पर पहुँचे हैं, डिजिटल क्रांति कर रहे हैं और आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे—लाखों बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं, हजारों गाँवों में अच्छे विद्यालय और शिक्षक नहीं हैं, करोड़ों युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय मदद नहीं मिलती। शिक्षा के अभाव में लोग गरीबी, अपराध और शोषण के शिकार हैं। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, यदि हमारे बच्चे अज्ञान की जंजीरों में जकड़े हुए हैं?

हमारे संविधान ने लिखा है—भारत एक समानता आधारित लोकतंत्र होगा। लेकिन यह समानता तब संभव होगी, जब हर नागरिक को समान शिक्षा मिले। जब गरीब और अमीर बच्चा एक ही किताब पढ़े, और जाति-धर्म की दीवारें शिक्षा के प्रकाश में ढह जाएँ। शिक्षा ही असली

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

आरक्षण है, क्योंकि समान शिक्षा मिलने पर अवसर भी समान होंगे, और तब आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं बचेगी।

राष्ट्र केवल सीमाओं, सरकार या आर्थिक विकास से नहीं बनता। राष्ट्र बनता है सजग, शिक्षित और संस्कारित नागरिकों से। कल्पना कीजिए—यदि हर बच्चा २४ वर्ष तक निःशुल्क और समान शिक्षा पाए, यदि हर युवा ज्ञान और कौशल से सुसज्जित हो, और यदि हर नागरिक जीवनभर सीखने का अवसर पाए, तो क्या भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक सकता है?

आज भी भारत के करोड़ों घरों में गरीबी की अंधेरी रात है। किसी घर में पिता रिक्शा चलाता है, माँ मजदूरी करती है, बच्चा पढ़ाई के बजाय काम करने पर मजबूर है। किसी घर में बेटी स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि रास्ता दूर है और सुरक्षा का डर है। किसी गाँव में शिक्षक नहीं आते, बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। यह केवल आँकड़े नहीं, यह उन करोड़ों सपनों की हत्या है जो शिक्षा के बिना अधूरे रह जाते हैं। शिक्षा का सपना है कि हर घर में दीपक जले। हर बच्चा चाहे गरीब हो या अमीर, लड़का हो या लड़की, किताब हाथ में लेकर कहे—“मैं पढ़ूँगा, मैं बढ़ूँगा, मैं भारत को बदलूँगा।”

हम अब तक शिक्षा को केवल ६-१४ वर्ष तक का अधिकार मानते आए हैं। लेकिन क्या १४ साल का बच्चा समाज और राष्ट्र के लिए तैयार हो जाता है? क्या वह अपने कैरियर का सही चुनाव कर सकता है? क्या वह आत्मनिर्भर बन सकता है? नहीं। इसलिए शिक्षा को २१-२४ वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य बनाना होगा, ताकि हर बच्चा स्नातक स्तर तक पढ़े, अपनी दिशा चुने और आत्मनिर्भर बने।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

दुनिया के कई देश शिक्षा को केवल अधिकार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानते हैं। जर्मनी और फ्रांस में उच्च शिक्षा भी निःशुल्क है। फिनलैंड में कोई निजी विद्यालय नहीं है, और वही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खंडहर से उठकर शिक्षा के बल पर महाशक्ति का रूप लिया। जब दुनिया यह कर सकती है, तो भारत क्यों नहीं?

आज हम "आत्मनिर्भर भारत" की बात करते हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता केवल उद्योग, तकनीक या रक्षा से नहीं आएगी। आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हर नागरिक शिक्षित और आत्मनिर्भर बनेगा। शिक्षित किसान अपनी उपज का सही मूल्य जान सकेगा, शिक्षित मजदूर अपने अधिकार मांग सकेगा, शिक्षित महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, और शिक्षित युवा नवाचार कर सकेगा।

शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, यह समाज की रीढ़ है। यह गरीबी मिटाती है, अपराध कम करती है, असमानता मिटाती है और राष्ट्र को मजबूत बनाती है। यदि हर नागरिक २४ वर्ष तक निःशुल्क और समान शिक्षा पाए, और जीवनभर सीखने के अवसर प्राप्त हों, तो भारत में न गरीबी रहेगी, न भेदभाव, न अपराध। वह दिन दूर नहीं जब भारत केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान महाशक्ति बनेगा।

आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें—

 "हर भारतीय को शिक्षा का समान अवसर – जन्म से लेकर जीवनभर तक।"

 यही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रधर्म है, यही सबसे बड़ा आरक्षण है, और यही भारत को विश्वगुरु बनने का मार्ग दिखाता है।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

खंड २ : शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत की शिक्षा परंपरा किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं है; यह हमारी सभ्यता की आत्मा रही है। जब विश्व के अन्य हिस्सों में लोग केवल जीविका और शिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, भारत में वेदों की ऋचाएँ गूँज रही थीं। उस समय गुरुकुल शिक्षा का पहला संगठित स्वरूप था। गुरु का आश्रम जंगलों और प्रकृति की गोद में होता। छात्र गुरु के साथ रहकर पढ़ते, सेवा करते, श्रम करते और जीवन के सभी आयामों को सीखते। शिक्षा केवल अक्षरज्ञान तक सीमित नहीं थी; इसमें ध्यान, योग, शिल्प, अस्त्र-शस्त्र, कृषि, संगीत, दर्शन और राजनीति सम्मिलित थे। यह शिक्षा निःशुल्क थी और इसका उद्देश्य नौकरी पाना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और मनुष्य को "ऋषि" या "योगी" बनाना था।

महाकाव्य काल में भी शिक्षा का महत्व अद्वितीय था। रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि शिक्षा के सशक्त दस्तावेज़ हैं। राम ने ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की, जबकि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और कर्ण ने द्रोणाचार्य से अस्त्र-शस्त्र और नीति का अध्ययन किया। यह भी ज्ञात है कि कर्ण को केवल "सूत्रपुत्र" कहकर शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की गई, जो शिक्षा में असमानता की जड़ें दर्शाता है।

बौद्ध और जैन काल में भारत ने ऐसे विश्वविद्यालय दिए जिनका नाम आज भी पूरी दुनिया में लिया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में १०,००० विद्यार्थी और २,००० शिक्षक थे, जहाँ दर्शन, गणित,

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

चिकित्सा, खगोल और साहित्य पढ़ाया जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय राजनीति, कूटनीति, युद्धकला और चिकित्सा का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन का प्रमुख केंद्र था। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश जाति या वर्ग पर नहीं, बल्कि योग्यता पर आधारित था। यही वह समय था जब भारत सचमुच विश्वगुरु कहलाता था।

मध्यकालीन भारत में शिक्षा का स्वरूप बदला। गाँवों में पाठशालाएँ, मंदिरों में मठ और मुस्लिम शासन में मदरसे शिक्षा के केंद्र बने। संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाएँ शिक्षा की धुरी बनीं। इस काल में शिक्षा आम जनता के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो सकी, फिर भी साहित्य, कला और भक्ति की धारा निरंतर प्रवाहित रही। तुलसीदास, सूरदास, कबीर और मीराबाई जैसे संत इसी काल में जन्मे।

औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ों ने शिक्षा को प्रशासनिक औजार बना दिया। मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा को अंग्रेज़ी माध्यम और नौकरशाही केंद्रित बना दिया। शिक्षा अब केवल नौकरी योग्य वर्ग तैयार करने का साधन बन गई। गरीब और अमीर के बीच खाई और चौड़ी हो गई। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर भारतीयों को "क्लर्क" बनाया, ताकि शासन चुनौतियों से सुरक्षित रहे।

स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा ने क्रांति का रूप लिया। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी—“शिक्षा वह है जो शरीर, मन और आत्मा को साथ-साथ विकसित करे।” रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कर प्रकृति आधारित शिक्षा दी। तिलक और डॉ. भीमराव आंबेडकर ने शिक्षा को स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

हथियार माना। इस दौर में शिक्षा केवल ज्ञान का साधन नहीं, बल्कि क्रांति और सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा शस्त्र बन गई।

स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी चुनौती थी अशिक्षा। १९४७ में साक्षरता दर केवल १२% थी। करोड़ों लोग पढ़-लिख नहीं सकते थे। संविधान ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, अनुच्छेद ४५ ने १४ वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की, और २००२ में अनुच्छेद २१A ने ६-१४ वर्ष तक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया। फिर भी १४ वर्ष के बाद शिक्षा असमान और महँगी बनी रही, जिससे सामाजिक खाई बनी रही।

आज भी शिक्षा का सपना अधूरा है। सरकारी विद्यालय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थान शिक्षा को व्यवसाय बना चुके हैं, और उच्च शिक्षा की फीस गरीब छात्रों की पहुँच से बाहर है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि शिक्षा तभी फलती है जब समान अवसर हों, मरती है जब वह व्यवसाय बन जाती है और क्रांति लाती है जब वह जनआंदोलन बन जाती है।

इतिहास हमें स्पष्ट संदेश देता है—गुरुकुलों ने शिक्षा को जीवन का आधार बनाया, विश्वविद्यालयों ने भारत को विश्वगुरु बनाया, औपनिवेशिक काल ने इसे व्यवसाय बना दिया, और स्वतंत्रता संग्राम ने शिक्षा को सामाजिक न्याय और क्रांति का हथियार बनाया। अब समय है कि स्वतंत्र भारत शिक्षा को न्याय, समानता और सार्वभौमिक अवसर का आधार बनाए। केवल तभी हम गरीबी, अपराध और असमानता से मुक्त होकर विश्वगुरु बन सकते हैं।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

खंड ३ : आधुनिक भारत में शिक्षा की स्थिति

भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है। हम चाँद पर पहुँच चुके हैं, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं और डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जब बात शिक्षा की आती है, तो तस्वीर अलग ही नजर आती है। एक ओर IIT, IIM और AIIMS जैसे विश्वस्तरीय संस्थान हैं, तो दूसरी ओर लाखों सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जिनमें न शिक्षक हैं, न पुस्तकालय, न प्रयोगशाला। एक ओर अरबों रुपये की फीस वाले निजी विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, तो दूसरी ओर लाखों गरीब बच्चे किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म के लिए तरसते हैं। यही आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था का विरोधाभास है—एक चेहरा चमकता हुआ, दूसरा अंधकार में डूबा।

संविधान ने शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। अनुच्छेद २१A (२००२) ने ६-१४ वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और आरटीई (Right to Education Act, 2009) ने हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की। लेकिन समस्या यह है कि १४ वर्ष के बाद शिक्षा का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस कारण बच्चे गरीबी या सामाजिक कारणों से पढ़ाई छोड़ देते हैं और उच्च शिक्षा की महंगी फीस उन्हें पीछे छोड़ देती है। शिक्षा आज भी केवल कुछ वर्गों का विशेषाधिकार बनी हुई है।

सरकारी विद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा आधार हैं, लेकिन उनकी हालत कई बार दिल दहलाने वाली होती है। कई विद्यालयों में शौचालय नहीं हैं, विशेषकर बालिकाओं के लिए। पेयजल की कमी

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

आम है। शिक्षकों की भारी कमी है और एक शिक्षक को कई कक्षाओं का बोझ उठाना पड़ता है। बुनियादी ढाँचा—कक्षा, डेस्क, पंखा, बिजली—अक्सर नदारद रहता है। परिणामस्वरूप गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

वहीं, निजी विद्यालयों ने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है। लाखों रुपये की फीस, डोनेशन, कैपिटेशन फीस, महँगे यूनिफॉर्म और किताबों का दबाव—यहाँ शिक्षा अब “सेवा” नहीं, बल्कि “बाज़ार” बन गई है। केवल अमीर वर्ग ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर पाता है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यह सपना ही रह जाता है।

कोचिंग संस्थानों ने शिक्षा की असमानता को और बढ़ा दिया है। कोटा, पटना और दिल्ली जैसे शहरों में कोचिंग हब बन गए हैं, लाखों रुपये फीस, हॉस्टल खर्च और किताबों का बोझ। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, पर हर छात्र सफल नहीं होता। असफलता के कारण बच्चों में डिप्रेशन, आत्महत्या और निराशा जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। यह कोचिंग संस्कृति शिक्षा में “अवसर की समानता” को नष्ट कर रही है।

उच्च शिक्षा की स्थिति भी आशाजनक नहीं है। निजी विश्वविद्यालय लाखों रुपये वसूलते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई गरीबों की पहुँच से बाहर है। सरकारी कॉलेजों में सीटें सीमित और प्रतियोगिता तीव्र है। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा अमीरों का अधिकार बन गई है, जबकि गरीब छात्र प्रतिभा होने के बावजूद पीछे छूट जाते हैं।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

इस दोहरी शिक्षा व्यवस्था ने समाज में गहरी असमानता पैदा की है। अमीर बच्चा आधुनिक विद्यालय में पढ़ता है, अंग्रेज़ी बोलता है, लैपटॉप और इंटरनेट का उपयोग करता है। गरीब बच्चा टूटी-फूटी कक्षा में बैठता है, कभी शिक्षक आता है कभी नहीं, किताबें और तकनीक दूर की बात है। यही असमानता सीधे गरीबी, बेरोज़गारी और अपराध को जन्म देती है।

लैंगिक असमानता भी बड़ी चुनौती है। लाखों बेटियाँ पढ़ाई से वंचित हैं। कई परिवारों में बेटियों को पढ़ाने की जगह घर के काम में लगाया जाता है। बाल विवाह अब भी कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और शौचालय की कमी भी बड़ी बाधा है। जबकि सच्चाई यह है कि जब एक लड़की पढ़ती है, तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और समाज की सोच बदलती है।

डिजिटल युग में शिक्षा का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो गया है, लेकिन लाखों गाँवों में इंटरनेट और स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं हैं। शहरी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ उठाते हैं, जबकि ग्रामीण और गरीब बच्चे इस सुविधा से वंचित हैं। कोरोना महामारी के दौरान यह असमानता और स्पष्ट हो गई, जब लाखों बच्चे पढ़ाई से कट गए।

आधुनिक भारत ने शिक्षा में प्रगति की है, लेकिन यह प्रगति अधूरी है। संविधान ने शिक्षा का अधिकार दिया, पर केवल १४ वर्ष तक। सरकारी विद्यालय कमजोर हैं, निजी विद्यालय और कोचिंग शिक्षा को व्यवसाय बना चुके हैं, उच्च शिक्षा अमीरों तक सीमित है, बालिका शिक्षा और डिजिटल पहुँच अब भी चुनौती है।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

 यदि भारत को सचमुच विश्वगुरु बनना है, तो शिक्षा को २१-२४ वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य बनाना होगा। तभी यह असमानता खत्म होगी और हर नागरिक आत्मनिर्भर बन पाएगा।

खंड ४ : क्यों आवश्यक है २१-२४ वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

भारत ने शिक्षा को संविधान में अधिकार के रूप में मान्यता दी, लेकिन केवल ६-१४ वर्ष तक। लेकिन क्या १४ साल की उम्र में बच्चा तैयार हो जाता है? क्या वह अपने कैरियर का चुनाव कर सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है, या समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में सामने आ सकता है? नहीं। यही वह बिंदु है जहाँ हमारी शिक्षा अधूरी रह जाती है। लाखों बच्चे १४ साल के बाद गरीबी, सामाजिक बाधाओं या आर्थिक मजबूरी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं और जीवनभर के लिए गरीबी, बेरोज़गारी और शोषण के चक्र में फँस जाते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि शिक्षा को २१-२४ वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए।

गरीबी और अशिक्षा एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। गरीब परिवार अक्सर बच्चे को पढ़ाने की बजाय काम पर भेजते हैं। बच्चा अशिक्षित रह जाता है, आगे जाकर केवल असंगठित मज़दूरी कर पाता है और फिर गरीब रह जाता है। यह एक अंतहीन चक्र है। यदि हर बच्चा २४ वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा पाएगा, तो यह चक्र टूटेगा। शिक्षा से बेहतर नौकरी मिलेगी, नौकरी से आर्थिक स्थिति सुधरेगी और अगली पीढ़ी

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

भी शिक्षा का लाभ उठाएगी। यही शिक्षा का वास्तविक सामाजिक और आर्थिक मूल्य है।

किशोरावस्था में शिक्षा और मार्गदर्शन न मिलने पर बच्चे अपराध की ओर आकर्षित होते हैं। नशा, चोरी, हिंसा और गैंग—ये सभी अशिक्षा की उपज हैं। अधिकतर अपराधियों का जीवन शिक्षा अधूरी रहने से प्रभावित रहा है। यदि शिक्षा २४ वर्ष तक अनिवार्य हो, तो युवा विद्यालय और विश्वविद्यालय की सकारात्मक दुनिया में रहेंगे, उनकी ऊर्जा और प्रतिभा सही दिशा में लगेगी।

भारत में आज भी लाखों बच्चे मजदूरी करते हैं। कोई होटल में बर्तन धोता है, कोई कारखाने में काम करता है, कोई सड़कों पर सामान बेचता है। माता-पिता मजबूरी में बच्चों को पढ़ाने की बजाय काम पर भेजते हैं। यदि १८ वर्ष तक शिक्षा अनिवार्य हो और २४ वर्ष तक निःशुल्क हो, तो बाल श्रम स्वतः समाप्त हो जाएगा और हर बच्चे को पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

१४ साल तक शिक्षा केवल बुनियादी ज्ञान देती है। जीवन में सफलता और आत्मनिर्भरता के लिए स्नातक स्तर तक शिक्षा जरूरी है। स्नातक तक पढ़ाई करने वाला युवा ही अपने जीवन की दिशा चुन सकता है—चाहे वह नौकरी, उद्यमिता या शोध की दिशा में हो। यदि २४ वर्ष तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी, तो हर नागरिक को कैरियर बनाने का समान अवसर मिलेगा।

महिलाओं की स्थिति भी शिक्षा पर निर्भर है। आज भी कई लड़कियाँ १०वीं-१२वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं, कारण—गरीबी, सामाजिक दबाव और विवाह। यदि २४ वर्ष तक शिक्षा अनिवार्य होगी, तो हर

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

लड़की स्नातक स्तर तक पढ़ाई करेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, परिवार और समाज में उसकी स्थिति मजबूत होगी और लैंगिक समानता बढ़ेगी। यही असली नारी सशक्तिकरण है।

दुनिया के उदाहरण भी प्रेरक हैं। जर्मनी और फ्रांस में उच्च शिक्षा भी निःशुल्क है। फिनलैंड में पूरी शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और वहाँ कोई निजी विद्यालय नहीं। जापान ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शिक्षा को प्राथमिकता दी और आज आर्थिक महाशक्ति है। यदि ये देश शिक्षा को २४ वर्ष तक निःशुल्क बना सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं?

शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास का आधार भी है। शिक्षित युवा अपराध से दूर रहेंगे। सेना, पुलिस और प्रशासन में योग्य नागरिक मिलेंगे। उद्योग और शोध संस्थानों में प्रतिभा का प्रवाह सुनिश्चित होगा। २४ वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगी।

आरक्षण को आज सामाजिक न्याय का साधन माना जाता है, लेकिन असली सामाजिक न्याय तभी होगा जब हर नागरिक को समान शिक्षा मिले। २४ वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलने के बाद अवसर समान होंगे, प्रतियोगिता केवल योग्यता और कौशल पर आधारित होगी और समाज में वास्तविक समानता स्थापित होगी।

यदि शिक्षा केवल १४ साल तक सीमित रही तो गरीबी बनी रहेगी, अपराध बढ़ेंगे, बाल श्रम खत्म नहीं होगा, महिलाएँ आत्मनिर्भर नहीं बन पाएँगी और समाज असमान रहेगा। लेकिन यदि शिक्षा २४ वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य होगी, तो गरीबी का चक्र टूटेगा, अपराध

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

घटेंगे, बाल श्रम समाप्त होगा, महिलाएँ सशक्त होंगी, समाज समान और राष्ट्र मजबूत बनेगा। यही असली राष्ट्रनिर्माण है। यही भारत को विश्वगुरु बनाने का मार्ग है।

खंड ५ : शिक्षा का राष्ट्रीयकरण – क्यों ज़रूरी है?

आज भारत में शिक्षा दो चेहरों वाली हो चुकी है। एक ओर निजी विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, जो करोड़ों की फीस लेकर आलीशान भवनों में चमकते हैं, तो दूसरी ओर सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें टूटी छतें, खाली क्लासरूम और संसाधनों की भारी कमी है।

 सवाल उठता है—शिक्षा क्या है? क्या यह व्यापार है या मानव अधिकार? क्या यह केवल अमीरों का विशेषाधिकार है या हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार? यदि शिक्षा को हम राष्ट्र की नींव मानते हैं, तो इसे मुनाफाखोरी से मुक्त करना ही होगा। और इसका सबसे सशक्त रास्ता है—**शिक्षा का राष्ट्रीयकरण।**

१९६९ में भारत ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उद्देश्य था—समान अवसर देना और गरीब, किसान को ऋण उपलब्ध कराना। इसी तरह कोयला, बीमा और दूरसंचार जैसे कई क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

 सवाल फिर यह है—यदि बैंक और उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो सकता है, तो शिक्षा का क्यों नहीं? क्या शिक्षा राष्ट्र की नींव नहीं है? आज निजी विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा को पूरी तरह बाजार बना चुके हैं। लाखों रुपये की फीस, डोनेशन और कैपिटेशन फीस, महंगे यूनिफॉर्म और किताबों का दबाव, कोचिंग माफिया और

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

एडमिशन रैकेट—इन सबने शिक्षा का उद्देश्य बदल दिया है। परिणाम—गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार कर्ज में डूब जाते हैं, प्रतिभाशाली गरीब छात्र पीछे रह जाते हैं, और शिक्षा अब लाभ का साधन बन गई, संस्कार का नहीं।

यदि शिक्षा राष्ट्रीयकृत होगी, तो हर विद्यालय सरकारी होगा। हर जगह एक समान पाठ्यक्रम और समान अवसर होंगे। गरीब और अमीर बच्चे एक ही कक्षा में बैठेंगे। डोनेशन, कैपिटेशन फीस और कोचिंग माफिया समाप्त होंगे। शिक्षा फिर से वही रूप धारण करेगी जो गुरुकुलों और नालंदा-तक्षशिला में था—समान और निःशुल्क।

फिनलैंड का उदाहरण प्रेरक है। वहाँ कोई निजी विद्यालय नहीं है। सभी विद्यालय सरकार द्वारा संचालित हैं, सभी बच्चों को समान अवसर मिलता है। परीक्षा और रैंकिंग पर ज़ोर नहीं, बल्कि कौशल और प्रतिभा पर ध्यान है। परिणाम—समाज में असमानता लगभग शून्य, हर बच्चा आत्मनिर्भर और रचनात्मक, और फिनलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शामिल है।

राष्ट्रीयकरण से सामाजिक समानता भी सुनिश्चित होगी। आज अमीर बच्चा अंतरराष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ता है, लैपटॉप और इंटरनेट का उपयोग करता है। वहीं गरीब बच्चा टूटी बेंच पर बैठता है, शिक्षक न होने से शिक्षा से वंचित रह जाता है। यदि शिक्षा राष्ट्रीयकृत होगी, तो दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे, एक ही किताब पढ़ेंगे और समान अवसर पाएंगे। यही असली सामाजिक न्याय है।

राष्ट्रीयकृत शिक्षा संस्कार और संस्कृति की रक्षा भी करेगी। निजी विद्यालय आधुनिकता और अंग्रेज़ी माध्यम पर जोर देते हैं, जिससे

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

भारतीय संस्कृति गौण हो जाती है। राष्ट्रीयकृत शिक्षा में वेद, उपनिषद, महाकाव्य और संत साहित्य के साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीक का भी समावेश होगा।

लोकतंत्र तभी सफल होगा जब हर नागरिक शिक्षित होगा। शिक्षा अमीरों तक सीमित रहे, तो लोकतंत्र अधूरा है। राष्ट्रीयकरण से हर नागरिक को समान शिक्षा मिलेगी, और लोकतंत्र जीवन में भी समानता देगा।

राष्ट्रीयकरण आसान नहीं होगा। निजी विद्यालयों का बड़ा नेटवर्क, राजनीतिक और आर्थिक हित, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधन की आवश्यकता—ये सभी चुनौती हैं। समाधान है—शिक्षा बजट को GDP का कम से कम ८% करना, निजी विद्यालयों को धीरे-धीरे सरकारी तंत्र में शामिल करना, शिक्षकों का पुनःप्रशिक्षण और समाज में शिक्षा को सेवा मानने की मानसिकता विकसित करना।

आज यदि हम शिक्षा को राष्ट्रीयकृत नहीं करेंगे, तो यह अमीरों का अधिकार बनी रहेगी, गरीब और मध्यमवर्गीय बच्चे पीछे रहेंगे, और समाज में असमानता गहरी होगी। लेकिन यदि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा, तो हर बच्चा समान अवसर पाएगा, समाज में वर्गीय खाई मिटेगी, शिक्षा सेवा बनेगी, व्यापार नहीं, और भारत ज्ञान महाशक्ति और विश्वगुरु बनेगा।

 इसलिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कोई विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अनिवार्यता है।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

खंड ६ : आरक्षण बनाम समान शिक्षा

भारत सदियों से असमानताओं से जूझता रहा है। जाति, वर्ण, वर्ग और लिंग के आधार पर समाज में गहरी खाई बनी। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने कहा—भारत एक ऐसा लोकतंत्र होगा जहाँ समानता होगी।

 लेकिन सवाल यह उठता है—क्या केवल राजनीतिक अधिकार देने से समानता आ जाएगी? नहीं। इसलिए आरक्षण का प्रावधान आया, ताकि शोषित और वंचित वर्गों को अवसर मिल सके।

आरक्षण ने कई सकारात्मक काम किए, लेकिन इसके साथ कई नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। अब समय है कि हम पूछें—क्या असली सामाजिक न्याय आरक्षण से मिलेगा या समान शिक्षा से?

भारत में जाति प्रथा ने शिक्षा और अवसर को सीमित कर दिया था। कुछ जातियों को शिक्षा और उच्च पदों का अधिकार था, जबकि शूद्र, दलित और पिछड़े वर्ग वंचित रहे। स्वतंत्रता के बाद इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण लागू हुआ। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण दिया गया।

 आरक्षण ने उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाखों दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षा और नौकरी तक पहुँचे। समाज में उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई और राजनीतिक, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व बढ़ा।

लेकिन धीरे-धीरे इसके दुष्परिणाम भी सामने आए। जाति आधारित राजनीति ने समाज को और बाँट दिया। आरक्षण का लाभ अक्सर

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

“मलाईदार वर्ग” तक सीमित रह गया। प्रतिभाशाली छात्रों में असंतोष और निराशा पैदा हुई। समाज में जातिगत तनाव और ईर्ष्या बढ़ी।

 असली सवाल—क्या आरक्षण स्थायी समाधान है? उत्तर—नहीं। आरक्षण केवल अवसर देता है, क्षमता नहीं। लेकिन शिक्षा क्षमता देती है। यदि हर बच्चा २४ वर्ष तक निःशुल्क और समान शिक्षा पाएगा, तो हर नागरिक की योग्यता बराबर होगी और आरक्षण की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

आरक्षण जाति पर आधारित है, जबकि समान शिक्षा अवसर पर आधारित। यदि हर बच्चा समान शिक्षा पाएगा—तो प्रतियोगिता केवल योग्यता और कौशल पर होगी, समाज में जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर समानता होगी, और आरक्षण की राजनीति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

इसके उदाहरण स्पष्ट हैं—केरल में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, परिणाम—साक्षरता लगभग १००%, समाज अपेक्षाकृत समान और जागरूक। तमिलनाडु में सरकारी सहायता से उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान हुई और पिछड़े वर्ग भी तेजी से आगे बढ़े। फिनलैंड में कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए समान है।

आरक्षण बनाम समान शिक्षा का तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करें तो स्पष्ट है—

पहलू	आरक्षण	समान शिक्षा
आधार	जाति, वर्ग	समान अवसर

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

पहलू	आरक्षण	समान शिक्षा
उद्देश्य	अवसर उपलब्ध कराना	क्षमता विकसित करना
परिणाम	असंतोष और विभाजन	एकता और न्याय
स्थायित्व	अस्थायी	स्थायी
राजनीति	जातिगत राजनीति	राष्ट्रहित आधारित नीति

चुनौतियाँ हैं—आरक्षण की राजनीतिक जड़ें, समाज में जातिगत मानसिकता और आर्थिक विषमता। समाधान है—धीरे-धीरे समान शिक्षा लागू करना, निःशुल्क और समान शिक्षा हर वर्ग को बराबरी पर लाना, ताकि आरक्षण स्वतः अप्रासंगिक हो जाए।

 **निष्कर्ष** : शिक्षा ही स्थायी आरक्षण है। अब समय आ गया है कि आरक्षण की जगह समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। जब हर नागरिक २४ वर्ष तक निःशुल्क और समान शिक्षा पाएगा, तब आरक्षण स्वतः अप्रासंगिक हो जाएगा। शिक्षा ही असली और स्थायी आरक्षण है।

 यही वास्तविक सामाजिक न्याय है।

 यही भारत को जाति और वर्ग की जंजीरों से मुक्त करने का मार्ग है।

खंड ७ : शिक्षा में विविधता और समावेश

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

भगवान ने कोई भी दो पत्ते, दो फूल या दो मनुष्य एक जैसे नहीं बनाए। हर बच्चा अपनी क्षमता, रुचि और स्वभाव में अलग है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था अक्सर सभी को एक ही ढाँचे में ढालने का प्रयास करती है। इसका परिणाम यह होता है कि कई बच्चे अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते, कई निराश हो जाते हैं, और कई शिक्षा से दूर भागने लगते हैं।

वास्तविक शिक्षा वही है जो हर बच्चे की विविधता को समझे और उसे उसके योग्य मार्ग पर ले जाए। यह शिक्षा न केवल ज्ञान देती है, बल्कि आत्मविश्वास, रचनात्मकता और जीवन के लिए दिशा भी प्रदान करती है।

कुछ बच्चे संख्याओं और तर्क में निपुण होते हैं। उनकी आँखें चमक उठती हैं जब वे समीकरण हल करते हैं या कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। ऐसे बच्चों को विज्ञान और गणित की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। लैब, प्रयोगशाला, रिसर्च प्रोजेक्ट और साइंस क्लब उनकी प्रतिभा को निखार सकते हैं। यही बच्चे आगे चलकर वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता बनेंगे। यदि उन्हें केवल रटंत विद्या पढ़ाई जाए तो उनकी प्रतिभा दब जाएगी।

कई बच्चे चित्रकला, नृत्य, गीत और लेखन में रुचि रखते हैं। वे रंगों में दुनिया देखते हैं, सुरों में भावनाएँ खोजते हैं, और शब्दों में नए ब्रह्मांड रचते हैं। शिक्षा को उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। कला और संगीत विद्यालय, साहित्यिक क्लब, रंगमंच और सृजनात्मक गतिविधियाँ उनके लिए सही मंच होंगे। यदि शिक्षा प्रणाली ने इन्हें दबा दिया होता, तो भारत की सांस्कृतिक धरोहर क्या बच पाती?

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

कुछ बच्चों की रुचि पढ़ाई की किताबों से ज्यादा मैदान में होती है। उनकी ऊर्जा और क्षमता खेलों में दिखाई देती है। शिक्षा व्यवस्था को खेलों को भी उतनी ही महत्ता देनी चाहिए जितनी अकादमिक ज्ञान को। विद्यालयों में खेल का समय, खेल शिक्षक और खेल उपकरण होने चाहिए। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, एथलेटिक्स—हर क्षेत्र में बच्चों को अवसर मिलना चाहिए। यदि हर बच्चे को अवसर मिले तो भारत खेलों में भी विश्वगुरु बन सकता है।

कुछ बच्चे स्वभाव से शांत और अंतर्मुखी होते हैं। वे ध्यान, योग और अध्यात्म में रुचि रखते हैं। शिक्षा व्यवस्था को उन्हें भी अवसर देना चाहिए। योग कक्षाएँ, ध्यान केंद्र, गीता और उपनिषद का अध्ययन उनके मानसिक संतुलन और आत्मिक विकास को बढ़ावा देगा। ऐसा करने से समाज में संतुलित, शांत और सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित होंगे।

कई बच्चे शारीरिक या मानसिक चुनौतियों के साथ जन्म लेते हैं। उनका भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और का। शिक्षा का अर्थ वही है जो किसी को पीछे न छोड़े। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल शिक्षा, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा और धीमी गति से सीखने वालों के लिए विशेष पद्धति अनिवार्य है। एक समावेशी शिक्षा वही है जो किसी को भी पीछे न छोड़े।

कई बार शिक्षा व्यवस्था उन बच्चों को “नालायक” या “शरारती” कहकर हाशिये पर डाल देती है जो कक्षा में शांत नहीं बैठ पाते। लेकिन क्या कभी सोचा गया कि उनकी ऊर्जा कहीं और दिशा पा सकती है? यदि उन्हें NCC, खेलकूद, स्काउट-गाइड और साहसिक गतिविधियाँ मिलें तो वे भी समाज के लिए बहुमूल्य बन सकते हैं।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

शिक्षा में विविधता और समावेश का सबसे बड़ा पहलू है—बालिका शिक्षा। यदि लड़कियों को समान अवसर नहीं मिलेगा, तो समाज का आधा हिस्सा पीछे रह जाएगा। उन्हें खेल, विज्ञान, कला और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। विवाह और सामाजिक दबाव से रोककर उन्हें शिक्षा के मार्ग पर प्रोत्साहित करना होगा। जब एक बेटी पढ़ती है, तो पूरा परिवार और समाज शिक्षित होता है।

ग्रामीण बच्चे अक्सर संसाधनों की कमी से जूझते हैं। उनके विद्यालयों में प्रयोगशाला नहीं होती, इंटरनेट और स्मार्ट क्लास दूर की बात है। शिक्षा में विविधता का अर्थ है कि ग्रामीण बच्चों को भी वही अवसर मिलें जो शहरी बच्चों को मिलते हैं। डिजिटल सुविधाएँ गाँव-गाँव तक पहुँचना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधन बराबरी से उपलब्ध होने चाहिए।

यदि शिक्षा केवल किताबों और अंकों तक सीमित रहे, तो यह अधूरी होगी। असली शिक्षा वही है जो—

- हर बच्चे की प्रतिभा को पहचाने,
- हर बच्चे को अवसर दे,
- किसी को भी पीछे न छोड़े।

विविधता और समावेश ही वह पुल है जो हर बच्चे को उसकी मंज़िल तक ले जाएगा। जब भारत में हर बच्चा—चाहे वह वैज्ञानिक बने, कलाकार, खिलाड़ी, योगी, लेखक या नेता—समान शिक्षा और अवसर पाएगा, तभी भारत सच्चे अर्थों में ज्ञान महाशक्ति बन सकता है।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

खंड ८ : आजीवन शिक्षा का महत्व

शिक्षा केवल बचपन और युवावस्था तक सीमित नहीं हो सकती। अक्सर हम सोचते हैं कि विद्यालय और विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी होते ही शिक्षा समाप्त हो गई। लेकिन जीवन बदलता है, समाज बदलता है, तकनीक बदलती है और परिस्थितियाँ भी। यदि शिक्षा युवावस्था तक ही रुकी रहे, तो व्यक्ति और समाज दोनों पीछे छूट जाते हैं। इसलिए शिक्षा को **जन्म से मृत्यु तक चलने वाली यात्रा** माना जाना चाहिए। यह यात्रा व्यक्ति को निरंतर विकसित करती है और समाज को भी उन्नति की राह पर ले जाती है।

आज की दुनिया में हर पाँच-दस साल में तकनीक बदल जाती है। कल जो कौशल उपयोगी था, आज अप्रासंगिक हो गया। डिजिटल क्रांति ने पुराने रोजगार मिटाए और नए रोजगार पैदा किए। यदि व्यक्ति जीवनभर नई चीजें न सीखे, तो वह बेरोज़गार और अप्रासंगिक हो जाएगा। मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी आजीवन शिक्षा आवश्यक है। नई भाषा, नया कौशल, नया शौक— यह सब मनुष्य को मानसिक रूप से युवा और सक्रिय बनाए रखता है। शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। यदि वयस्क और बुजुर्ग नई जानकारी और शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो वे समाज और राष्ट्र की नीतियों में सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

भारत में करोड़ों वयस्क अब भी निरक्षर हैं। वे अपना नाम नहीं लिख सकते, बैंक, अस्पताल या सरकारी दफ्तर के काम नहीं समझ पाते और अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं। इसलिए वयस्क शिक्षा केंद्र खोलना अनिवार्य है, ताकि वे पढ़-लिख सकें, अपनी ज़िंदगी सँवार सकें और अपने बच्चों को सही दिशा दिखा सकें। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक भी नई तकनीक, डिजिटल बैंकिंग, स्वास्थ्य और सामाजिक बदलावों से जुड़ें, तो वे समाज में सक्रिय और उपयोगी रह सकते हैं। यदि उन्हें अवसर मिले तो वे संगीत, साहित्य, दर्शन, योग आदि क्षेत्रों में नई चीजें सीख सकते हैं। आजीवन शिक्षा उन्हें सम्मानजनक और उपयोगी जीवन देती है।

इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने शिक्षा की नई संभावनाएँ खोल दी हैं। ऑनलाइन कोर्स, ई-लाइब्रेरी, वेबिनार और यूट्यूब लेक्चर शिक्षा को उम्र की सीमा से मुक्त कर रहे हैं। यदि भारत गाँव-गाँव तक इंटरनेट पहुँचाए, तो हर उम्र के व्यक्ति को सीखने का अवसर मिल सकता है। हर गाँव और मोहल्ले में पुस्तकालय और सामुदायिक शिक्षा केंद्र होने चाहिए। यहाँ हर उम्र के लोग पढ़ने और सीखने आ सकें। वर्कशॉप, कौशल प्रशिक्षण, कला और संस्कृति की कक्षाएँ चल सकती हैं। ये केंद्र समाज को शिक्षा का सतत प्रवाह देंगे और ज्ञान की संस्कृति विकसित करेंगे।

महिलाओं के लिए आजीवन शिक्षा और भी आवश्यक है। कई महिलाएँ विवाह या परिवार की जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। यदि उन्हें बाद में शिक्षा और कौशल सीखने का अवसर मिले, तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सिलाई, कंप्यूटर, उद्यमिता

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स महिलाओं के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो फिनलैंड और स्वीडन में आजीवन शिक्षा सरकारी नीति का हिस्सा है। जापान में बुजुर्ग भी नए कौशल सीखते रहते हैं, इसलिए वे सक्रिय और उत्पादक रहते हैं। यूरोपियन यूनियन ने “Lifelong Learning Programme” शुरू किया है। भारत को भी आजीवन शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल करना होगा।

बेशक, चुनौतियाँ हैं—वित्तीय बोझ, सामाजिक मानसिकता और डिजिटल डिवाइड। लेकिन इनका समाधान भी संभव है। CSR, NGO और समाज की भागीदारी से केंद्र खोले जा सकते हैं। समाज में यह धारणा बदली जानी चाहिए कि शिक्षा केवल बच्चों के लिए है। डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए गाँव-गाँव इंटरनेट और स्मार्ट उपकरण पहुँचाने होंगे।

शिक्षा केवल १४ या २४ वर्ष तक सीमित नहीं हो सकती। शिक्षा केवल बच्चों या युवाओं तक सीमित नहीं हो सकती। यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली यात्रा है। यह जीवन को उद्देश्य देती है, व्यक्ति को युवा और समाज को जीवंत रखती है। यह राष्ट्र को समय के साथ अद्यतन और सशक्त बनाए रखती है।

 जब हर भारतीय—बच्चा, युवा, वयस्क और बुजुर्ग—जीवनभर सीखने का अवसर पाएगा, तब भारत वास्तविक अर्थों में **ज्ञान महाशक्ति** बनेगा।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

खंड ९ : भविष्य का भारत – शिक्षा से विश्वगुरु तक

भारत की आत्मा सदियों से ज्ञान और शिक्षा में निहित रही है। वेद, उपनिषद, गीता, बौद्ध और जैन ग्रंथ, नालंदा और तक्षशिला—ये सभी यही संदेश देते हैं कि भारत केवल भौतिक शक्ति से नहीं, बल्कि शिक्षा और ज्ञान से महान रहा है। आज प्रश्न यही है—क्या भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है? उत्तर सरल है—हाँ, यदि हम शिक्षा को राष्ट्र का सर्वोच्च आधार बना दें।

यदि हर बच्चा २४ वर्ष तक **निःशुल्क और समान शिक्षा** पाएगा, तो भविष्य का भारत कैसा होगा? हर युवा साक्षर और सक्षम होगा। कोई भी बच्चा गरीबी या मजबूरी के कारण अधूरी शिक्षा का शिकार नहीं होगा। हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा, समाज में असमानता घटेगी और राष्ट्र की उत्पादन शक्ति कई गुना बढ़ेगी। यही शिक्षा भविष्य का सबसे बड़ा निवेश है।

आज भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोज़गारी है। लाखों लोग रोज़ कमाकर रोज़ खाने को मजबूर हैं। अपराधी गिरोह बेरोज़गार युवाओं को फँसाते हैं। लेकिन जब हर युवा पढ़-लिखकर रोजगार और आत्मनिर्भरता पाएगा, तो न गरीबी रहेगी, न अपराध। यही भविष्य का भारत होगा—सुरक्षित और समृद्ध।

महिलाएँ समाज की आधी आबादी हैं। यदि वे शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी, तो पूरा समाज बदल जाएगा। शिक्षित महिला परिवार को बेहतर दिशा देती है, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संस्कार में सुधार लाती है और आर्थिक रूप से योगदान देती है। जब हर बेटी

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

२४ वर्ष तक शिक्षा पाएगी, तब भारत का भविष्य न केवल मजबूत बल्कि समान और संतुलित होगा।

दुनिया अब केवल संसाधनों पर नहीं, बल्कि **ज्ञान पर चल रही है**। अमेरिका, जापान और जर्मनी ने शिक्षा और शोध पर ध्यान दिया, इसलिए वे महाशक्ति बने। यदि भारत २४ वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देगा, तो हर नागरिक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित होगा। तब भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि नवाचार और शोध का वैश्विक केंद्र बनेगा।

भारत का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा जब हम अपने अतीत से प्रेरणा लें। नालंदा और तक्षशिला केवल विश्वविद्यालय नहीं थे, बल्कि पूरे विश्व के लिए ज्ञान का दीपक थे। वहाँ जाति या वर्ग नहीं, केवल योग्यता मायने रखती थी। भविष्य का भारत वही होगा जहाँ हर बच्चा, चाहे गरीब हो या अमीर, समान शिक्षा पाए। नालंदा और तक्षशिला की परंपरा फिर जीवित होगी।

२१वीं सदी को “एशिया की सदी” कहा जा रहा है। चीन अपनी शिक्षा और तकनीकी क्षमता से महाशक्ति बन रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान शिक्षा से वैश्विक आर्थिक ताकत बने। यदि भारत शिक्षा पर ध्यान देगा, तो वह न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत केवल “आईटी सर्विस” देने वाला देश नहीं, बल्कि **“नॉलेज हब”** बनेगा।

शिक्षा केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का भी माध्यम है। जब सभी को समान शिक्षा मिलेगी तो जाति, धर्म और वर्ग की दीवारें टूटेंगी। समाज में भाईचारा और

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

समानता का भाव पनपेगा। राष्ट्र मजबूत होगा। यही भारत का भविष्य है—जहाँ विविधता में एकता शिक्षा के माध्यम से और गहरी होगी।

जापान के उदाहरण से हमें प्रेरणा मिलती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान खंडहर बन गया था। लेकिन उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। परिणामस्वरूप संसाधनों की कमी होने के बावजूद जापान आज तकनीक और उद्योग में अग्रणी है। भारत के पास संसाधन और जनसंख्या दोनों हैं। यदि शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, तो भारत भी वही चमत्कार कर सकता है।

भविष्य का भारत केवल तभी सुरक्षित और समृद्ध होगा जब शिक्षा उसकी नींव होगी। हर बच्चा २४ वर्ष तक निःशुल्क और समान शिक्षा पाए। हर नागरिक आजीवन सीखने का अवसर पाए। महिलाएँ आत्मनिर्भर हों। समाज में असमानता मिटे। तब भारत केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं, बल्कि **ज्ञान महाशक्ति** बनेगा। यही वह भारत होगा जो फिर से विश्वगुरु कहलाएगा।

खंड १० : निष्कर्ष – शिक्षा ही असली आरक्षण है

भारत ने सदियों तक अन्याय, शोषण और असमानता देखी है। कभी जाति ने समाज को बाँटा, कभी गरीबी ने आगे बढ़ने से रोका, कभी लिंग ने बंधन बनाए, और कभी साम्राज्यवाद ने हमारे सपनों को कुचला। लेकिन हर युग में **शिक्षा ही अंधकार को चीरने का मार्ग रही**। आज़ादी के आंदोलन में शिक्षा हथियार बनी, समाज सुधार में

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

शिक्षा मार्गदर्शक बनी और अब भविष्य निर्माण में शिक्षा ही अंतिम संकल्प है।

आरक्षण ने अवसर दिए, लेकिन क्षमता नहीं दी। शिक्षा अवसर भी देती है और क्षमता भी। आरक्षण जाति और वर्ग पर आधारित है, जबकि शिक्षा योग्यता और समान अवसर पर आधारित है। यदि हर बच्चा २४ वर्ष तक समान शिक्षा पाएगा, तो उसे आगे बढ़ने के लिए किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। हर नागरिक अपने कौशल और परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ेगा। यही असली आरक्षण है—शिक्षा।

यदि शिक्षा को २४ वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया जाए, तो गरीबी का चक्र टूटेगा। अपराध स्वतः घटेंगे। बाल श्रम समाप्त होगा। महिलाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी। समाज में जाति और वर्ग की खाई पाटी जाएगी। यही वास्तविक सामाजिक न्याय है।

आज "आत्मनिर्भर भारत" की बात हो रही है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर नागरिक केवल शिक्षा से बनता है। जब हर युवा शिक्षित होगा, तब वह नवाचार करेगा, रोजगार पैदा करेगा और समाज तथा राष्ट्र को नई ऊँचाइयाँ देगा।

लोकतंत्र केवल मतपत्र तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र तब सशक्त होता है जब हर नागरिक जागरूक और शिक्षित हो। यदि शिक्षा सभी को समान रूप से मिलेगी, तो लोकतंत्र में केवल पैसा और जाति का प्रभाव नहीं होगा, बल्कि योग्यता और विवेक का नेतृत्व होगा। यानि शिक्षा ही लोकतंत्र की असली रीढ़ है।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

भारत की असली पहचान शिक्षा और संस्कृति में निहित है। यदि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा और हर बच्चा संस्कारों से जुड़ा होगा, तो भारत फिर से विश्वगुरु कहलाएगा—विज्ञान और तकनीक में अग्रणी, कला और संस्कृति में समृद्ध, अध्यात्म और दर्शन में मार्गदर्शक। शिक्षा भारत को सम्पूर्ण रूप से सशक्त बनाएगी।

दुनिया को आज ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो केवल आर्थिक शक्ति न हो, बल्कि नैतिक और बौद्धिक शक्ति भी हो। भारत यह भूमिका तभी निभा सकता है जब शिक्षा उसकी नींव होगी। जब हर भारतीय ज्ञान, संस्कार और आत्मनिर्भरता से सम्पन्न होगा, तब भारत केवल अपने नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए **प्रकाशस्तंभ** बनेगा।

यह मार्ग सरल नहीं है। चुनौतियाँ हैं—वित्तीय बोझ, राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक मानसिकता, शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। लेकिन यदि हम संकल्प लें और शिक्षा को हर स्तर पर प्राथमिकता दें, तो यह संभव है।

कल्पना कीजिए—कोई बच्चा अब सड़कों पर काम न करे, बल्कि कक्षा में किताब पढ़े। कोई बेटी अब रसोई तक सीमित न हो, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बने। कोई गरीब निराश न बैठे, बल्कि आत्मनिर्भर बने। यह सब संभव है यदि शिक्षा को २४ वर्ष तक **निःशुल्क और अनिवार्य** बना दिया जाए।

भारत को विश्वगुरु बनने के लिए सबसे पहले अपने नागरिकों को शिक्षित करना होगा। समान शिक्षा ही वास्तविक आरक्षण है। समान शिक्षा ही वास्तविक सामाजिक न्याय है। समान शिक्षा ही वास्तविक

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

आत्मनिर्भरता है। जब हर भारतीय बच्चा जन्म से लेकर जीवनभर तक शिक्षा पाएगा, तब गरीबी, अपराध और असमानता मिट जाएगी। भारत केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं, बल्कि **ज्ञान महाशक्ति** बनेगा।

 यही भारत का स्वप्न है—

“हर भारतीय को शिक्षा का समान अवसर – जन्म से लेकर जीवनभर तक।”

लेखक का प्राणदायी अंतिम संदेश

प्रिय भारतवासियों,

यह लेखन केवल अक्षरों का संकलन नहीं है, बल्कि मेरे हृदय की धड़कन है। इस ग्रंथ में मैंने शिक्षा को केवल एक विषय नहीं, बल्कि **राष्ट्रनिर्माण का सबसे बड़ा संकल्प** माना है। शिक्षा वही शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर भारत को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगी।

हम अक्सर सोचते हैं कि शिक्षा केवल स्कूल या विश्वविद्यालय तक सीमित है। लेकिन वास्तविकता यह है कि **शिक्षा जीवन की निरंतर यात्रा है**, जो जन्म से लेकर जीवनभर चलती रहती है। यही शिक्षा समाज और राष्ट्र दोनों को सशक्त बनाती है।

 जब तक भारत का हर बच्चा २४ वर्ष तक **निःशुल्क और समान शिक्षा** नहीं पाएगा, तब तक गरीबी, अपराध और असमानता की जड़ें मिटेंगी नहीं।

 जब तक शिक्षा हर घर, हर गली, हर गाँव, हर दिल तक नहीं पहुँचेगी, तब तक भारत **विश्वगुरु बनने का सपना** अधूरा रहेगा।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

शिक्षा ही असली आरक्षण है।

शिक्षा ही असली समानता है।

शिक्षा ही असली आत्मनिर्भरता है।

और शिक्षा ही वह दीपक है जो भारत को पुनः जगमगाएगा।

हमारे देश की आत्मा हमेशा से ज्ञान से परिपूर्ण रही है। वेद, उपनिषद, नालंदा, तक्षशिला—ये सभी यही संदेश देते हैं कि भारत का असली गौरव केवल भौतिक शक्ति में नहीं, बल्कि शिक्षा, ज्ञान और संस्कार में है।

मैं अपने देशवासियों से एक ही आह्वान करता हूँ—

 आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें :

- कोई बच्चा स्कूल से बाहर न रहे।
- कोई युवा पैसे की कमी से पढ़ाई न छोड़े।
- कोई बेटी सामाजिक बंधनों या परंपराओं से शिक्षा से वंचित न हो।
- कोई गरीब ज्ञान और अवसर की कमी के कारण पीछे न रह जाए।

 आइए, हम सब मिलकर यह प्रण करें :

“भारत में जन्मा हर नागरिक जीवनभर शिक्षा का समान अवसर पाएगा।”

कल्पना कीजिए—

- एक बच्चा, जो कभी सड़क पर काम करता था, अब किताबों और प्रयोगशालाओं में अपने सपने साकार कर रहा है।
- एक बेटी, जिसे सामाजिक बाधाएँ रोकती थीं, अब डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और नेता बन रही है।

शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

- एक गरीब युवा, जिसे कभी अवसर नहीं मिला, अब अपने कौशल और मेहनत से आत्मनिर्भर बन रहा है।

जब यह संकल्प पूरे राष्ट्र का संकल्प बन जाएगा, तब यह धरती केवल **भारतभूमि** नहीं रहेगी, बल्कि **पूरी मानवता के लिए ज्ञान का प्रकाशस्तंभ** बन जाएगी। यह वही भारत होगा, जो शिक्षा, योग्यता, संस्कार और आत्मनिर्भरता के आधार पर विश्व में अपनी पहचान बनाएगा।

 यही मेरी प्रार्थना है।

 यही मेरी पुकार है।

 यही मेरी अंतिम वाणी है।

 गौतम झा "राही"

📌 शिक्षा : आजीवन निःशुल्क और समान अवसर, समान भविष्य की अनिवार्यता

एक आवाहन – सामाजिक न्याय और राष्ट्रनिर्माण की ओर

